5 बीएलओ की रोकी वार्षिक वेतनवृद्धि

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 नवम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अंतर्गत गणना पत्रकों के महत्वपूर्ण डिजिटाइजेशन के कार्य में नगण्य प्रगति एवं गंभीर लापरवाही बरतने के कारण विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी के पांच बीएलओ की एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने की कार्यवाही की है।

उक्त की गई कार्यवाहियों में विधानसभा शिवपुरी के भाग क्रमांक 261 के बीएलओ दयाराम जाटव के द्वारा 4 नवम्बर से 20 नवम्बर 2025 के मध्य डिजिटाइजेशन किये जाने वाले 1137 फार्मों के विरुद्ध आज दिनांक तक मात्र 76 फॉर्मों का ही डिजिटाइजेशन किया है, जो कि मात्र 6.68 प्रतिशत ही है। विधानसभा शिवपुरी के भाग क्रमांक 93 के बीएलओ पंकज भार्गव के द्वारा 4 नवम्बर से 20 नवंबर 2025 के मध्य डिजिटाइजेशन किये जाने वाले 1284 फार्मों के विरुद्ध आज दिनांक तक मात्र 118 फॉर्मों का ही डिजिटाइजेशन किया है, जो कि मात्र 9.19 प्रतिशत ही है। विधानसभा शिवपुरी के भाग क्रमांक 83 के बीएलओ इंद्रजीत सिंह पाल के द्वारा 4 नवम्बर से 20 नवम्बर 2025 के मध्य डिजिटाइजेशन किये जाने वाले 1117 फार्मों के विरुद्ध आज दिनांक तक मात्र 112 फॉर्मों का ही डिजिटाइजेशन किया है, जो कि मात्र 9.31 प्रतिशत ही है। विधानसभा शिवपुरी के भाग क्रमांक 269 के बीएलओ कैलाश नारायण के द्वारा 4 नवंबर से 20 नवम्बर 2025 के मध्य डिजिटाइजेशन किये जाने वाले 1237 फार्मों के विरुद्ध आज दिनांक तक मात्र 95 फॉर्मों का ही डिजिटाइजेशन किया है, जो कि मात्र 7.68 प्रतिशत ही है। विधानसभा शिवपुरी के भाग क्रमांक 242 के बीएलओ कैलाश लोधी के द्वारा 4 नवम्बर से 20 नवम्बर 2025 के मध्य डिजिटाइजेशन किये जाने वाले 504 फार्मों के विरुद्ध आज दिनांक तक मात्र 58 फॉर्मों का ही डिजिटाइजेशन किया है, जो कि मात्र 9.92 प्रतिशत ही है। जो गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही किया जाना प्रदर्शित करता है। जिसके तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, अधिनियम तथा अपील) 1966 के नियम 10 के अंतर्गत उक्त पांचों बीएलओ की एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गई है।

10 लीटर कच्ची जहरीली शराब के साथ दो गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 नवम्बर। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं नगर पुलिस अधीक्षक संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक जितेन्द्र सिंह मावई एवं उनकी टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुये शुक्रवार को मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति थाना देहात क्षेत्र में कब्रिस्तान लुधावली तरफ से काले रंग की पल्सर मोटरसाइकल से जंगल के रास्ते शराब लाने वाले है मुखबिर की सूचना पर से दबिश देकर आरोपीगण नितिन पुत्र गोपाल कुशवाह उम्र 20 साल निवासी छोटा लुहारपुरा पुरानी शिवपुरी एवं आरोपी आसिफ पुत्र शहजाद खान उम्र 28 साल निवासी छोटा लुहारपुरा पुरानी शिवपुरी को मय 10 लीटर कच्ची जहरीली शराब कीमती 2 हजार रुपये एवं पल्सर मोटरसाइकल कीमती 50 हजार रुपये को जप्त किया जाकर दोनों आरोपीगणों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 49 (ए), 34 (1) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर आरोपीगणों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र सिंह मावई थाना प्रभारी देहात, प्रआर. दीपचन्द्र, प्रआर. आदेश धाकड, आर. गजेन्द्र, आर. रिन्कू शाक्य थाना देहात की मुख्य भूमिका रही।

गणना पत्रकों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने पर बीएलओ सम्मानित

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी के निर्देशन में जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 का कार्य जारी है। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना फार्मो का वितरण एवं संकलन कर बीएलओ एप पर ऑनलाइन डिजिटाइजेशन कार्य संपूर्ण जिले में सर्वप्रथम 100 प्रतिशत कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र 26 पिछोर के मतदान केन्द्र क्रमांक 47 ढला के बीएलओ ओमकार लाल कोली को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

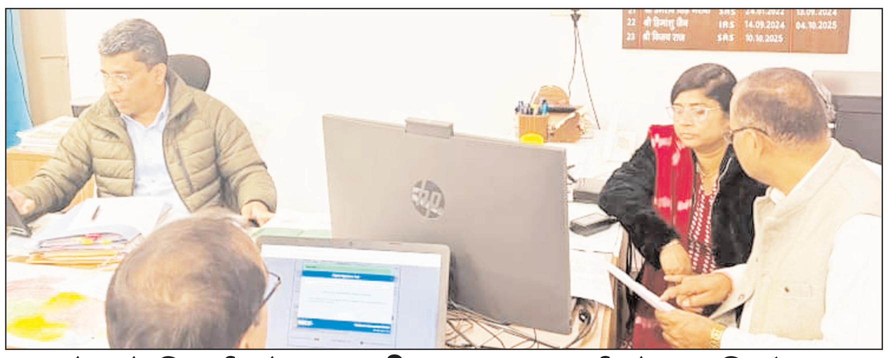

बच्चों को सिर्फ भोजन नहीं, गुणवत्तापूर्ण पोषण मिले : राज

प्रधानमंत्री पोषण योजना की ऑनलाइन समीक्षा, 20 विद्यालयों से सीधा संवाद

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 नवम्बर। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की। गूगल मीट के माध्यम से हुई इस बैठक में जिले के 20 विद्यालयों के शाला प्रभारियों से सीधे संवाद किया गया। सीईओ राज ने कहा कि योजना का उद्देश्य भोजन उपलब्ध कराना मात्र नहीं, बल्कि बच्चों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित कर उनके सर्वांगीण विकास में सहयोग करना है। समीक्षा के दौरान भोजन की गुणवत्ता, तय मीनू के अनुसार वितरण, भोजन निर्माण में स्वच्छता एवं बच्चों की उपस्थिति जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में एकीकृत शा.मा.वि. माधवचौक, हाई स्कूल भानगढ़, शा. हाई स्कूल रायश्री, कृष्णगंज पोहरी, सीएम राईज विद्यालय पोहरी, शा.हा.से.वि. भटनावर, शा.मा.वि. खोंकर, शा. एकी.मा.वि. सेसई सड़क, सीएम राईज विद्यालय बदरवास, शा. मॉडल स्कूल बदरवास, शा.मा.वि. नंबर 2 नरवर, शा.मा.वि. कठेंगरा, शा.मा.वि. टोरिया खुर्द, शा.मा.वि. खोड़, शा.एकी.उ.मा.वि. भौंती, हाई स्कूल गूडर, शा.मा.वि. नंबर 1 खनियाधाना, शा.मा.वि. सिरसौद, शा.मा.वि. सिलानगर एवं शा.प्रा.वि. सलैया चौराहा की स्थिति का मूल्यांकन किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने शाला प्रभारियों एवं शिक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए भोजन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने और नियमित फीडबैक देने के निर्देश दिए।

युवा संगम कार्यक्रम 27 नवंबर को एडीआर भवन शिवपुरी में

शिवपुरी, 21 नवम्बर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सूक्ष्म लघु व मध्यम एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में प्रत्येक माह निर्धारित दिवस को युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिला रोजगार अधिकारी बी.एस.मीना ने बताया कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समन्वय एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (एडीआर सेंटर) के सहयोग से जिला स्तर पर 27 नवंबर को प्रातः 11 बजे से जिला सत्र न्यायालय के सामने स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला शिवपुरी (एडीआर सेंटर) परिसर में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 लीटर हाथभट्टी शराब व 8000 किलो गुड़ लाहन नष्ट

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 नवम्बर। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जिला आबकारी विभाग शिवपुरी ने 21 नवम्बर को वृत्त पिछोर में बड़ी कार्रवाई की। यह कार्रवाई कलेक्टर रविन्द्र चौधरी एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर संदीप शर्मा के निर्देशन में, जिला आबकारी अधिकारी शुभम दांगोड़े के नेतृत्व में की गई। वृत्त पिछोर प्रभारी लोकेश बेवारिया द्वारा क्षेत्र बरवतपुरा एवं बामौरकला कंजर डेरे आदि स्थानों पर दबिश देकर कुल 50 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरण ज़ब्त किए गए, साथ ही 8000 किलोग्राम गुड़ लाहन का सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए एवं 08 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में वृत्त पिछोर प्रभारी लोकेश बेवारिया, आबकारी उपनिरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज, गौरव कोल, आरक्षक गिरराज, सतीश, रितिक, डालसिंह, सैनिक रवि, अनिल एवं सुमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आबकारी विभाग ने बताया कि भविष्य में भी पिछोर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

उत्तर मध्य रेलवे

नं0: JHS/W/DO/misc/LHS-5C दिनांकः 14.11.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिरलानगर- उदीमोड रेल मार्ग पर बिरलानगर- शनीचरा स्थित रेलवे रेलवे अंडर पास संख्या 5C (रेलवे किमी. 1231/02-03) को अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक 05.09.2025 से 20.11.2025 तक अस्थायी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन पानी का स्तर कम न होने के कारण रेलवे अंडर पास संख्या 5C को अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक 05.12.2025 तक अस्थायी तौर पर पर बंद रखा जाना आवश्यक है। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में आने जाने हेतु लगभग 1.0 km दूर बिरलानगर स्टेशन की तरफ स्थित अंडर पास संख्या 4 (रेलवे किमी. 1230/03-04, मउ-जवाहर मार्ग) का उपयोग किया जा सकता है।

वरिष्ठ मण्डल अभियंता/उत्तर
उत्तर मध्य रेलवे, झांसी

2233/25(DG)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

Aditya Birla Housing Finance Ltd.
ADITYA BIRLA CAPITAL
HOME LOANS

Regd Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362 266 | (T) +91 22 43567100 | (Toll free) 1800 270 7000 | CIN: U65922GJ2009PLC083779 | homefinance.adityabirlacapital.com

सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि आदित्य बिरला हाउसिंग फायनांस लिमिटेड ने कार्यकारी सुविधा और बेहतर ग्राहक सेवा के लिये **दूसरी मंज़िल, सिटी प्लाज़ा, एलीट प्लाज़ा रोड, ऐक्सिस बैंक के ऊपर, सिविल लाइन्स, झाँसी, उत्तर प्रदेश - 284001** के पते पर स्थित शाखा को स्थानांतरित* करने का फैसला किया है। नयी शाखा का पता है **पहली मंज़िल, बसेरा आर्केड, ध्यान चंद स्टेडियम के सामने, बीकेडी, चित्रा रोड, झाँसी - 284001, जो फरवरी - 2026** से प्रभावी होगा।

***नियामक प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा शाखा तीन महीनों की सूचना अवधि के बाद काम करना बंद कर देगी।**

आदित्य बिरला हाउसिंग फायनांस लिमिटेड के लिये
अधोहस्ताक्षरी/-
स्थान: झाँसी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत 4 करोड़ 56 लाख के दावे प्रस्तुत

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 नवम्बर। भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक के तत्वाधान में जिला अग्रणी बैंक शिवपुरी के द्वारा शुक्रवार को गांधी पार्क स्थित कम्युनिटी हॉल में जागरूकता एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ऐसे खाते जिनमे पिछले 10 वर्षों से अधिक कोई लेनदेन नहीं हुआ है उनके अंतर्गत शिवपुरी जिले की विभिन्न बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा कुल राशि 4 करोड़ 56 लाख के दावा प्रस्तुत किये गए। साथ ही उक्त कार्यक्रम में दावा करने की प्रक्रिया, उद्गम पोर्टल के साथ वित्तीय साक्षरता के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के एजीएम ज्योति रंजन, मुख्य प्रबंधक (एसबीआई) उमेश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के उप क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. वर्मा, डूडा के जिला अधिकारी सौरभ गोड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईशांक धाकड़, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक शिवपुरी के.के. सिंह एवं सभी बैंको एवं बीमा कंपनियों के प्रबंधकों के साथ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए।

औद्योगिक भ्रमण, रेडिऐन्ट आई.टी.आई के छात्रों ने जानी विद्युत वितरण की बारीकियाँ

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 नवम्बर। हमारे घरों तक विद्युत प्रवाह निरंतर बना रहें, इसके लिए लोड का समान वितरण बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता हैं। उक्त जानकारी देते हुए 220 के.व्ही. उपकेन्द्र पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड 18 बटालियन चंदनपुरा के समीप के सुपरवाइजर कनिष्क यंत्री धीरेन्द्र चौरसिया ने रेडिऐन्ट व न्यू रेडिऐन्ट आई.टी.आई शिवपुरी के इलैक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को शक्ति विद्युत केन्द्र से विद्युत वितरण की बारीकियों की जानकारी दी।

रेडिऐन्ट आई.टी.आई के छात्रों ने सम्पूर्ण विद्युत वितरण केन्द्र का भ्रमण किया व ट्रांसफार्मर पर लोड सेट करना, करंट का समान वितरण, शट डाउन होना, फॉल्ट होने पर कैसे विद्युत सप्लाई पुनः चालू करना, विद्युत केन्द्र पर कार्य करते हुए अपनाई जाने वाली सावधानियाँ उसके रोजगार के अवसर सहित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी इस इण्डस्ट्रियल विजिट में प्राप्त की। औद्योगिक भ्रमण के दौरान विद्युत केन्द्र के सुपरवाइजर श्री चौरसिया जी व प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बना रहा। इस भ्रमण में रेडिऐन्ट के प्रशिक्षणार्थी टी.ओ. कृष्णा पाल उपस्थित रहें। रेडिऐन्ट के संचालक शाहिद खान ने इस विजिट के लिये धन्यवाद व आभार व्यक्त किया।

जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज

शिवपुरी। नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम अनुसार दिये गये निर्देशों के पालन में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 22 नवम्बर को प्रातः 11 बजे जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक में नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तर मध्य रेलवे

संख्याः JHS/W/DO/misc/LHS-24 दिनांकः 14.11.2025

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्वालियर-इटावा रेल मार्ग पर मालनपुर-गोहद रोड रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे अंडर पास संख्या 24 (रेलवे किमी. 1253/6-7) को अनुरक्षण कार्य हेतु **दिनांक 22.06.2025** से **20.11.2025** तक अस्थायी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन पानी का स्तर कम न होने के कारण रेलवे अंडर पास संख्या 24 को अनुरक्षण कार्य हेतु **दिनांक 05.12.2025** तक अस्थायी तौर पर पर बंद रखा जाना आवश्यक है। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में आने जाने हेतु 1.0 km दूर मालनपुर स्टेशन की तरफ स्थित अंडर पास 23 का उपयोग किया जा सकता है। **वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता**
उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी

2234/25(A)

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

पृष्ठ 3 का शेष

नीतीश ने 20 साल बाद गृह मंत्रालय छोड़ा

- संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया
- अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग के साथ-साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी
- सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग
- रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
- श्रेयसी सिंह को सूचना प्रावैधिकी की विभाग के साथ-साथ खेल विभाग
- प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग
- एलजीआरपी कोटे में गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- हम कोटे में लघु जल संसाधन विभाग
- संतोष सुमन का विभाग नहीं बदल गया, फिर से लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे
- दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री होंगे

उद्योगों के लिये पसंदीदा राज्य एमपी

को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह एक्सपो 23 नवम्बर तक चलेगा. एक्सपो में मप्र सहित देश-विदेश से आए उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों, निवेशकों और संस्थानों ने व्यापक रूप से भागीदारी की. एक्सपो में रूस, ओमान और ताईवान देशों से भी उद्यमी आए हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इपिक प्रोजेक्ट का विमोचन किया. इससे स्व-सहायता समूह, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतें, शासकीय कार्यालय सभी एक प्लेटफार्म से जुड़ेंगे. इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 1000 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जहां हर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

इपिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से मिले सभी निवेश प्रस्तावों में से अब तक हम 8 लाख करोड़ रुपये के अधिक निवेश प्रस्तावों पर ठोस कार्यवाई कर चुके हैं। इनमें से 6 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ हो चुका है. उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली औद्योगिक इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को आमंत्रण दिया है. हम उनकी उपस्थिति में यह ऐतिहासिक भूमिपूजन संपन्न करेंगे. कार्यक्रम को फेडरेशन ऑफ मप्र चेम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दीपक शर्मा, फेडरेशन के संयुक्त अध्यक्ष अखिलेश राठी ने भी संबोधित किया, वहीं रूस के स्मोलेन्स्क शहर की स्मोलेन्स्क चैम्बर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अर्किपेंकोव व्लादिमीर ने रशियन भाषा में संबोधित किया.

पं. शास्त्री की भागवत कथा से पहल कलश यात्रा होगी

शिवपुरी, 21 नवम्बर। धर्म नगरी शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पंडित दीनदयाल कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह कथा हवाई पट्टी के पीछे नर्सरी ग्राउंड में आयोजित होगी। कथा के शुभारंभ से पहले 23 नवंबर को शहर में विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजन शामिल होंगे। इसी क्रम में, ओम श्री बाबा श्याम सेवा समिति शिवपुरी ने भी कलश यात्रा में भाग लेगें। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिर्राज शर्मा एचबाडा ने बताया कि वह अपने सदस्यों के साथ इस कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी सूचित किया कि समिति कथा के सातों दिन सेवा कार्य में अपना योगदान देगी। कलश यात्रा राजेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों गुरुद्वारा रोड और झांसी तिराहा से होते हुए कथा स्थल हवाई पट्टी के पीछे नर्सरी ग्राउंड में पहुंचकर संपन्न होगी।

M.P. MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COM. LTD.
Office of The Dy. General Manager (Central) Division
Roshanighar, Campus Gwalior (M.P.), E-mail : centraldivision10@gmail.com
No. : DGM/CENTRAL/GWL/2025-26/2757 Gwalior, Dated : 20.11.2025

NOTICE INVITING E-TENDER (OPEN TENDER)

M.P.M.K.V.V.Co.Ltd., hereby invites e-tender for hiring the below mention type of vehicles in the following Location :-

Name of Unit/Office	Particulars	Tender Fee (Rs.)	Date of Opening of Bids Online
Office of The CSS (KENDRIYA) Zone under DGM (City Central Division) Gwalior.	Type-G2, Light Commercial Vehicle (Non-AC) (2 To 3 metric ton) Truck or equivalent etc. year-2025	500/- + GST @18% Extra	02.12.2025 at 15:00 hrs.

Other details, terms and conditions are available on company website : **https://portal.mpcz.in** & **https://mptenders.gov.in** or the under signed office.

M.P. Madhyam/123150/2025 **DGM (CENTRAL)**

नि:शुल्क दंत जांच शिविर आयोजित

शाढ़ौरा। स्थानीय द्रोपदी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए निशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से डॉ. अमित शर्मा द्वारा बच्चों के दांतों की जांच की गई। जांच के दौरान डॉ. शर्मा ने विद्यार्थियों को दांतों की देखभाल के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री दसरथ श्रीमती मीरा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10578036)	मकान संख्या 36, खसरा संख्या 362, पीएच नंबर 23, ग्राम राओं कलां, पोस्ट लामकाना, करशदेव मंदिर के पास, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, भारत, 475686 का पूरा टुकड़ा. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपति का प्रकार- भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल. संपति क्षेत्रफल- 1250.00, 990.00, 770.00	रु. 528221/- (रु. पांच लाख अट्ठाइस हजार दो सौ इक्कीस मात्र)	4-4-2025	19-11-2025

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: डी-1, ग्राउंड फ्लोर, बसंत विहार, ग्वालियर-474002 /या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- ग्वालियर, दिनांक- 22/11/2025 प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड ऑफिस : द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2-बी, ऑफिस दोमलुर, कोरामंडला इनर रिंग रोड, नेक्सट टू ईजीएल बिजनेस पार्क, छलाघट्टा, बैंगलोर- 560071, ब्रांच ऑफिस- प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल (म.प्र.)-462011.

ई-नीलामी सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के प्रवर्तन के तहत ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना, प्रावधान नियम 8 (6) और 9 के प्रावधान के साथ पढ़ें

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में गिरवी संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) जैसा है जहां है और जैसा है जैसा है पर आयोजित किया जाएगा निर्धारित तिथि पर यहां के तहत.

क्र.	लोन एकाउंट नं.	मूल देनदार/सह देनदार/ गारंटर का नाम	13-2 नोटिस तिथि	कब्जा तिथि	वर्तमान बकाया	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि ईएमडी रु. में	ई-नीलामी तिथि व समय	बिड जमा की अंतिम तिथि, समय व स्थान
1.	45519430001060	1. श्री दीपू आत्मज रामविलाश 2. श्री रामविलाश आत्मज बाबू सिंह	8-6-2023	30-10-2025	रु. 11,94,052.70/- (रु. ग्यारह लाख चौरानवे हजार बावन और पैसा सत्तर मात्र) 20-11-2025 को	20-12-2025 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 17,70,000/- (रु. सत्रह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 1,77,000/- (रु. एक लाख सतहत्तर हजार मात्र)	22-12-2025 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	20-12-2025 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर जोन-2, भोपाल म.प्र.-462011
	संपत्ति विवरण/अनुसूची- सर्वेक्षण संख्या 291/1 और 291/2 के अंतर्गत आने वाली भूमि का वह टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) है, फड़ का पुरा, खटीक मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 14, ग्राम पमैया, तहसील बानमोर और जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम में- सरनाम सिंह का प्लॉट, उत्तर में- मुन्ना गिरी का प्लॉट और दक्षिण में- विजय सिंह का प्लॉट.									
2.	45519630000341	1. श्री रामखिलाड़ी आत्मज धनपाल सिंह 2. श्री गजेन्द्र आत्मज राम खिलावन 3. श्री सियाराम आत्मज धनपाल सिंह 4. श्रीमती सरवती पत्नी लक्ष्मण	17-8-2022	30-10-2025	रु. 10,37,107.00/- (रु. दस लाख सैंतीस हजार एक सौ सात मात्र) 20-11-2025 को	20-12-2025 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक	रु. 8,55,000/- (रु. आठ लाख पचपन हजार मात्र)	रु. 85,500/- (रु. पिच्यासी हजार पांच सौ मात्र)	22-12-2025 को 11.00 बजे से 2.00 बजे तक	20-12-2025 को 05.00 बजे से पहले जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमि. प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर जोन-2, भोपाल म.प्र.-462011
	संपत्ति विवरण/अनुसूची- सर्वेक्षण संख्या 184 का वह सम्पूर्ण भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 1460 वर्ग फुट है, तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, ग्राम जैतपुर नूराबाद, वार्ड संख्या 04, शिव चोली का पुरा, खदान रोड, बानमोर, तहसील एवं जिला मुरैना (मध्य प्रदेश) में स्थित है. पूर्व में- सर्वदी जाटव का मकान, पश्चिम में- लक्ष्मण जाटव का मकान, उत्तर में- अन्य भूखंड और दक्षिण में- सड़क से घिरा हुआ है.									

संपत्तियाँ 'जहाँ है जैसी है' और 'जो है जैसी है जैसी है' के आधार पर रखी जा रही हैं और ई-नीलामी 'ऑनलाइन' आयोजित की जाएगी. उपरोक्त संपत्ति की खरीद से संबंधित सभी भुगतान जन लघु वित्त बैंक के पक्ष में किए जाएँगे. नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://bankauctions.in और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए और ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क कर सकते हैं; श्री विकास केटेले से संपर्क करें, संपर्क संख्या- 8712637550। ईमेल आईडी- info@bankauctions.in / vikas@bankauctions.in. ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नियम व शर्तों की अधिक जानकारी और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कृपया जन लघु वित्त बैंक के अधिकारी श्री रंजन नाइक (मोबाइल नंबर 6362951653) से संपर्क करें. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, इन संपत्तियों पर कोई भार नहीं है. हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार और संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में स्वतंत्र रूप से पूछताछ कर लेनी चाहिए. कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी. यह उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं को बंधक संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में भी एक सूचना है. उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पहले उपरोक्त राशि, वर्तमान ब्याज और सहायक खर्चों सहित का भुगतान करें. ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि है तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा.

दिनांक- 22-11-2025, स्थान- ग्वालियर ह./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड